मो. शफी

बनाम

मो. रफीक और अन्य

अप्रैल 9, 2007

(एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे.जे.)

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973

धारा 319- व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में शामिल न किया जाना- समन करने की शक्ति- अदालत का कर्तव्य है कि- ऐसी संतुष्टि की प्राप्ति करे कि ऐसी संभावना है जिससे प्रतीत होता है कि बुलाये गये अभियुक्त को दोषी ठहराया जाएगा। गवाहों की जिरह पूरी होने पर ऐसी संतुष्टि की प्राप्ति की जा सकती है।

अपीलकर्ता के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज की गई, जिसमें उस पर धारा 307/324 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मामला धारा 302 आईपीसी में परिवर्तित कर दिया गया। पुलिस ने एक 'के' के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की और न कि अपीलकर्ता के खिलाफ। विचारण न्यायाधीश के सामने प्रतिवादी नं.1 कि कानूनी तौर पर पीडब्लू-1 के रूप में परीक्षा की गई। उसकी मुख्य परीक्षा में उसने दावा किया कि घटना उसकी मौजूदगी में हुई थी और अपीलकर्ता ने घटना में हिस्सा लिया था। धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन किया गया। जिसमें अपीलकर्ता को बुलाए जाने की मांग की गई, लेकिन सत्र न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया। प्रतिवादी न.1 ने धारा 482 दण्ड

प्रक्रिया संहिता के तहत उक्त आदेश के खिलाफ एक आवेदन दायर किया जिसकी अनुमति दी गई।

इस न्यायालय से अपील में अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सत्र न्यायाधीश ने उस विचारण स्तर पर अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता।

प्रतिवादी ने इसका खंडन करते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखने का आवेदन किया कि एफ.आई.आर. में अपीलकर्ता का नाम शामिल था और गवाहों ने पुलिस की पूछताछ के दौरान धारा-161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उसके खिलाफ कुछ खुली कार्यवाही का आरोप लगाया था, जिसके तहत इस आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए अभिधारित किया किः

1. इससे पहले कि ट्रायल कोर्ट धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता का सहारा ले, उपयुक्त तत्वों की पूर्ति होनी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जो मुकदमें का सामना नहीं कर रहा है, संबधित अदालत में पेश होना चाहिए। यह अदालत की तरफ से इप्से दीक्षित भाग नहीं हो सकता। इस संबंध में न्यायिक विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। [पैरा-7] [1026-एफ]

2. प्रतिवादी न. 1 ने कहा कि वह केवल एक गवाह था। उसके पास इस मामले में कोई कथन नहीं था। इसलिए यह समझ में नहीं आता कि उसके कहने पर और वह भी उस स्तर पर, उच्च न्यायाल्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-482 के तहत दिए आवेदन पर कैसे विचार कर सकती है। सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया फैसला पक्षकारों

के अधिकार को प्रभावित करने वाला कोई अंतिरम आदेश नहीं था। यहां तक कि उसके विरूद्व पुनरीक्षण आवेदन भी उस स्तर पर कायम नहीं रखा जा सकता था। [पैरा-11] [1027 E]

दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी और अन्य,(1983) 1 एससीसी 1 और *युवराग अंबर मोहिते बनाम महाराष्ट राज्य* [2006] 10 स्केल 369 का संदर्भ लिया।

3. धारा 319 के तहत ट्रायल न्यायाधीश को इस संतुष्टि पर पहुंचना आवश्यक था। यदि न्यायाधीश के अनुसार गवाह से जिरह पूरी होने के बाद ही मामले पर उचित विचार किया जाना चाहिए, तो गवाह के कहने पर और राज्य के व्यथित न होने तक कोई अपवाद नहीं लिया जा सकेगा। [पैरा-12] [1027-एफ]

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने से पहले संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए कि एक एेसी संभावना है कि बुलाए गए आरोपी को दोषी ठहराया जाएगा। एेसी संतुष्टि उक्त गवाह से जिरह पूरी होने पर की जा सकती है। उक्त उद्देश्यों के लिए, संबंधित अदालत अन्य साक्ष्यों पर भी विचार कर सकती है। इसलिए उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। [पैरा-13] [1027-एच;1028-ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2007 की आपराधिक अपील नं. 530।

आपराधिक विविध में इलाहबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.09.2006 से 2006 की याचिका संख्या 11468 पारित।

अपीलकर्ता की ओर से कुंवर सी.एम.खान और आफताब अली खान।

प्रतिवादी की ओर से अशोक कुमार सिंह और संजय मिश्रा ।

अदालत का फैसला एस.बी.सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया ।

1. अनुमति दी गई।

2. एक एफ.आई.आर रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ रफीक नाम के व्यक्ति द्वारा दिनांक 10-11-2005 को धारा 307/324 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध का आरोप लगाया था। घायल व्यक्ति की मृत्यु के कारण, मामला धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत परिवर्तित कर दिया गया। पुलिस ने सिर्फ एक करीमुल्लाह उर्फ आरिफ के खिलाफ ही आरोप पत्र पेश किया। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई चार्जशीट प्रस्तुत नहीं की गई। जब यह मामला विचारण न्यायाधीश के सामने आया, तब प्रतिवादी संख्या 1 ने खुद को पी.डब्ल्यू-1 के रूप में परीक्षित कराया। मुख्य परीक्षा में उसने दावा किया कि घटना उसकी मौजूदगी में हुई थी और अपीलकर्ता ने घटना में हिस्सा लिया था। केवल इस आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अपीलकर्ता को बुलाने के लिए आवेदन दायर किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह कहते हुए उक्त प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया किः-

> "मामला ले लिया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन के संबध में बयान का अवलोकन किया गया है। गवाह पी.डब्लू 1 रफीक, के बयान के अवलोकन पर, अब तक गवाह की मुख्य परीक्षा ही हुई है। गवाह ने दावा किया कि घटना उसकी मौजूदगी में हुई थी और वह शोर सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा था। गवाह के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए बयान को जांचने पर यह पाया गया कि कागज संख्या 1 में दिनांक 10.11.2005 को दर्ज किया गया था

कि वह घटना के बाद मौके पर पहुंचा था जैसा कि इस गवाह ने बताया था और घटना को अंजाम देने वाला आरोपी करीमुल्लाह को बताया गया। इसलिए इस स्तर पर यह आवेदन स्वीकार्य नहीं है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन इस स्तर पर खारिज किया जा रहा है।"

3. प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त आदेश के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय इलाहबाद के सामने एक आवेदन दायर किया और आदेश को खारिज कर दिए जाने कि वजह से उसकी अनुमित दे दी गई। इस प्रकार अपीलकर्ता हमारे सामने है।

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता का मानना है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मुकदमे को उस चरण में अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी की आरे से उपस्थित वकील ने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता का नाम एफ.आई.आर. में था और गवाहों ने धारा 161 के तहत पुलिस के समक्ष अपनी परीक्षण में उसके खिलाफ कुछ प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप लगाया था। इसलिए निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

6. दण्ड प्रक्रिया की धारा 319 अब इस प्रकार हैः-

"319, अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की शक्ति-(1) जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त

के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कायर्वाही कर सकता है।

(2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहां पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उस मामले की परिस्थितयों की अपेक्षानुसार गिरफ्तार या समन किया जा सकता है।

(3) कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किए जाने पर भी अदालत में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए विरुद्ध किया जा सकता है।

(4) जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा(i) के अधीन कार्यवाही करता है, वहां- (क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगाः

(ख) खण्ड (क) के उपबंधों के अधीन रखते हुए, मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो यह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था, जिस पर जांच या विचारण प्रारंभ किया गया था।"

7. इस प्रकार, इससे पहले कि कोई विचारण न्यायालय उक्त प्रावधान का सहारा लेना चाहे, आवश्यक तत्वों को पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, जो मुकदमें का सामना नहीं कर रहा है, संबंधित अदालत में पेश होना चाहिए। यह अदालत की ओर से इप्से दीक्षित का भाग नहीं हो सकता। इस संबंध

में न्यायिक विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि न्यायालय इस संबंध में अपनी संतुष्टि पर पहुंचे।

8. चूंकि उपर्युक्त प्रावधान की व्याख्या अब इस न्यायालय के कुछ निर्णयों में शामिल है, इसलिए हमें इस स्तर पर तत्वों की बताने की आवश्कता नहीं है।

9. *दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी और अन्य,* (1983) 1 एससीसी 1 में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि भले ही किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा मुकदमे के लिए नहीं भेजा गया हो, फिर भी विचारण न्यायालय साक्ष्य लेने के बाद, यह कहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का हकदार है;

> "इन परिस्थितयों में, इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष ऐसा कर सकता है किसी भी स्तर पर ऐसे सबूत प्रस्तुत करें जो अदालत को संतुष्ट करें कि अन्य आरोपियों या जिन्हें आरोपी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जिनके खिलाफ कार्यवाही रद्ध कर दी गई है, उन्होंने भी अपराध किया है। अदालत उनके खिलाफ संज्ञान ले सकती है और मुकदमा चला सकती है। *लेकिन हम यह जोड़ना चाहेंगे कि यह वास्तव में एक असाधारण शक्ति है जो अदालत को प्रदान की गई है और इसका उपयोग बहुत संयमित ढंग से किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब दूसरे व्यक्ति के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए बाध्यकारी कारण मौजूद हो, जिसके खिलाफ कायर्वाही नहीं की गई है।* इससे ज्यादा इस स्तर पर हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम पूरे मामले को संबंधित अदालत के विवेक पर छोड़ते हैं ताकि वह कानून के मुताबिक कार्यवाही करें।"

(जोर दिया गया)

10. मामले के इस पहलू पर हाल ही में जोर दिया गया *युवराग अंतर मोहिते बनाम महाराष्ट्र राज्य* के मामले में भी विचार किया गया है जो (2006) 10 स्केल में 369 में रिपोर्ट किया गया है।

11. प्रतिवादी संख्या 1 का कहना है कि वह केवल एक गवाह था। इस मामलें में उसका कोई कथन नहीं था। इसलिए यह समझ में नहीं आता कि कैसे, उसके कहने पर, और वह भी उस स्तर पर, उच्च न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस आवेदन पर विचार कर सकती है। निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.8.2006 को विद्वान सत्र न्यायधीश द्वारा पारित भी पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई अंतरिम आदेश नहीं था। यहां तक कि इसके खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन भी उस स्तर पर कायम नहीं रखा जा सका।

12. विचारण न्यायाधीश को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के संदर्भ में अपनी संतुष्टि पर पहुंचना आवश्यक है। यदि वह मानते है कि गवाहों से जिरह पूरी होने के बाद ही मामले पर उचित विचार किया जाना चाहिए, तो गवाह के कहने पर आैर जब राज्य इससे व्यथित न हो, तब तक इसमें कोई अपरवाद नहीं लिया जा सकता है।

13. इस न्यायालय के निर्णयों से, जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह स्पष्ट है कि इससे पहले कि कोई अदालत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के संदर्भ में अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे, उसे इस संतुष्टि पर पहुंचना चाहिए कि ऐसी पूरी संभावना मौजूद है कि बुलाये गये अभियुक्त को दोषी ठहराया जाएगा। ऐसी संतुष्टि अन्य बातों के साथ-साथ उक्त गवाह की जिरह पूरी होने पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त उद्देश्य के लिए, संबंधित अदालत अन्य साक्ष्यों पर भी विचार कर सकती है। इसलिए,

हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय करने में त्रुटि की है। तद्नुसार इसे अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रतन लाल मूण्ड (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।